

न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर (बिजनौर)

वाद सं० 201513160/36560

मौजा-सरायअसनारा

जयचमन चैरिटेबिल ट्रस्ट

ग्राम खण्डसाल

धारा-143 जं०वि०एवंभू०व्य०अधि०।

परगना-नहटौर

बनाम उ०प्र०सरकार।

नकल आदेश दिनांक 21-12-15

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जयचमन चैरिटेबिल ट्रस्ट खण्डसाल द्वारा प्रबन्धक जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह निवासी ग्राम खण्डसाल परगना नहटौर तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.15 के अंतर्गत धारा 143 जं०वि०अधि० के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम सरायअसनारा परगना नहटौर तहसील धामपुर के खाता नं० 70 खसरा नं० 142 मि० रकबा 0.855 हे० लगान 36.35 रु० के बकदर भाग 0.570 हे० लगान 17.60 रु० भूमि पर वर्तमान में खेती या खेती से सम्बन्धित कुटकुट पालन, मतस्य पालन, बागवानी व पशुपालन के प्रयोग में नहीं आ रही है। मौके पर अकृषिक प्रयोग में आ रही है। अन्त में प्रश्नगत भूमि को लगान मुक्त कर जं०वि०अधि० 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र जांच हेतु तहसीलदार धामपुर को भेजा गया है।

तहसीलदार धामपुर की जांच आख्या दिनांक 08.12.15 प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम सरायअसनारा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष सन् 1420-1425 फ० के खाता नं० 70 खसरा 142 मि० रकबा 0.570 हे० लगान 17.60 रु० के खातेदार जयचमन चैरिटेबल ट्रस्ट खण्डसाल प्रबन्धक जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह निवासी ग्राम खण्डसाल संक्रमणीय भूमिधर है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य जैसे मतस्य पालन, पशुपालन, कुटकुट पालन, बागवानी तथा कृषि का कार्य नहीं हो रहा है। जबकि मौके पर अकृषिक प्रयोग में आ रही है। प्रश्नगत भूमि धारा 132 के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रश्नगत भूमि बंधक नहीं है तथा अविवादित है। उक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि० 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि में किसी भी भाग पर कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मतस्य पालन एवं कुटकुट पालन आदि नहीं हो रहा है। मौके अकृषिक प्रयोग में आ रही है। अतः ग्राम सरायअसनारा परगना नहटौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष सन् 1420-1425 फ० के खाता नं० 70 खसरा 142 मि० रकबा 0.570 हे० लगान 17.60 रु० भूमि को जमींदारी विनाश अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम सरायअसनारा परगना नहटौर तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के खतौनी वर्ष सन् 1420-1425 फ० के खाता नं० 70 खसरा 142 मि० रकबा 0.570 हे० लगान 17.60 रु० जयचमन चैरिटेबल ट्रस्ट खण्डसाल प्रबन्धक जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह निवासी ग्राम खण्डसाल को जमींदारी विनाश अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक धामपुर को इस आशय से भेजी जाए कि इसे अभिलेखों में निशुल्क पंजीकृत करायेंगे। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर अकृषिक घोषित भाग को चिन्हित करते हुए नजरी नक्शे में पृथक पृथक रंगों के साथ आख्या भेजेंगे। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक -21-12-2015

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)  
परगनाधिकारी धामपुर।



**न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर (बिजनौर)**

वाद सं० 120171316160 32340

मौजा-सरायअसनारा  
जयचमन चैरिटेबल ट्रस्ट  
ग्राम खण्डसाल

धारा-143 जं०वि०अधि० एवंमू०व्य०अधि०।  
परगना-नहतौर

बनाम  
आदेश

उ०प्र० सरकार।


प्रस्तुत वाद की कार्यवाही जयचमन चैरिटेबल ट्रस्ट खण्डसाल द्वारा प्रबन्धक जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह निवासी ग्राम खण्डसाल परगना नहतौर तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.17 को अंतर्गत धारा 143 जं०वि०अधि० के आधार पर प्रारम्भ हुई। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम सरायअसनारा परगना नहतौर तहसील धामपुर के खाता नं० 72 खसरा नं०145 रकबा 0.352हे० लगान 11.80 रू० के बकदर भाग 0.295हे० लगान 08.20 रू० भूमि पर वर्तमान में खेती या खेती से सृम्बन्धित कुटकुट पालन, मतस्य पालन, बागवानी व पशुपालन के प्रयोग में नहीं आ रही है। मौके पर अकृषिक प्रयोग में आ रही है। अन्त में प्रश्नगत भूमि को लगान मुक्त कर जं०वि०अधि० 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थना पत्र जांच हेतु तहसीलदार धामपुर को भेजा गया है।

तहसीलदार धामपुर की जांच आख्या दिनांक 17.11.17 प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया है कि भूमि स्थित ग्राम सरायअसनारा परगना नहतौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष सन् 1420-1425फ० के खाता नं० 72 खसरा 145 रकबा 0.295हे० लगान 08.20 रू० के खातेदार जयचमन चैरिटेबल ट्रस्ट खण्डसाल प्रबन्धक जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह निवासी ग्राम खण्डसाल, संक्रमणीय भूमिधर है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य जैसे मतस्य पाल, पशुपालन, कुटकुट पालन, बागवानी तथा कृषि का कार्य नहीं हो रहा है। जबकि मौके पर अकृषिक प्रयोग में आ रही है। प्रश्नगत भूमि धारा 132 के अन्तर्गत नहीं आती है। प्रश्नगत भूमि बंधक नहीं है तथा अविवादित है। उक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि० 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मेरे द्वारा तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट सहित पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। तहसीलदार धामपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि में किसी भी भाग पर कृषि कार्य, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कुटकुट पालन आदि नहीं हो रहा है। मौके अकृषिक प्रयोग में आ रही है। अतः ग्राम सरायअसनारा परगना नहतौर तहसील धामपुर की खतौनी वर्ष सन् 1420-1425फ० के खाता नं० 72 खसरा 145 रकबा 0.295हे० लगान 08.20 रू० भूमि को जमींदारी विनाश अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर भूमि स्थित ग्राम सरायअसनारा परगना नहतौर तहसील धामपुर जनपद बिजनौर के खतौनी वर्ष सन् 1420-1425फ० के खाता सं० 72 खसरा 145 रकबा 0.295हे० लगान 08.20 रू० जयचमन चैरिटेबल ट्रस्ट खण्डसाल प्रबन्धक जयपाल सिंह पुत्र न्यादर सिंह निवासी ग्राम खण्डसाल को जमींदारी विनाश अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार धामपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि उक्त आदेश का अंकन खतौनी के विवरण कॉलम में प्रतिवर्ष कराना सुनिश्चित करें। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक धामपुर को इस आशय से भेजी जाए कि इसे अभिलेखों में निशुल्क पंजीकृत करायेंगे। आदेश की एक प्रति राजस्व निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे मौके पर अकृषिक घोषित भाग को चिन्हित करते हुए नजरी नक्शे में पृथक पृथक रंगों के साथ आख्या भेजेंगे। समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत पत्रावली दाखिल दफतर की जाए।

दिनांक- 01-12-2017

  
(आजाद मगत सिंह)  
परगनाधिकारी धामपुर।